NEW ERA AGRICULTURE MAGAZINE

प्रमाणित बीज की महत्ता

एस ठाकुर[1] और एस शर्मा[2]

परिचय:

पैदावार बढ़ाने के लिए जहाँ बहुत से उपाय काम में लाये जा रहे हैं , वहीं बीजों की किस्में सुधारने की भी बराबर कोशिश की जा रही है। अनुसन्धान क्षेत्रों में प्राय: जमीन बहुत कम होती है और इसीलिए वहां बीज सीमित मात्रा में ही पैदा किये जा सकते हैं। इसी कारण रजिस्टर्ड उत्पादकों की भूमि पर अधिक बीज पैदा कर बीज की मात्रा बढ़ाई जाती है । फिर वहां से दूसरे किसानों में बीज बांटा जाता है। लेकिन इस काम में यदि कुछ बातों पर पूरा ध्यान न दिया जाए तो बीज के गुण खराब हो जाते हैं।

इस आवश्यक बात को ध्यान में रखते हुए प्रमाणीकरण क्रम यहाँ पर बताया गया है। बीज का प्रमाणीकरण वह क्रम है जिसके अनुसार किसी उन्नत जाति के शुद्ध बीज से एक के बाद दूसरी कई फसलें लेने के बाद यह निश्चय कर लिया जाता है कि बीज पूरी तरह से शुद्ध है और उसे बोने से किसान भरपूर लाभ उठा सकता है।

बीज प्रमाणीकरण का ढंग: बीज का प्रमाणीकरण राज्य का कृषि विभाग करता है। विभाग यह काम एजेंसी के सुपुर्द कर देता है। इसमें ऐसे आदमी शामिल होते हैं जिन्हें बीजों की जातियों और उनकी शुद्धता के बारे में काफी जानकारी रहती है। बीज के प्रमाणीकरण के लिए किसानो को एक प्रार्थना पत्र इस एजेंसी को भेजना पड़ता है। इसमें उसे अपने बीज की पहचान और खेत में कौन-कौन सी फसलें बोई जा चुकी हैं, भूमि कैसी है आदि सब बातें लिखनी चाहिए। इसके बाद यह एजेंसी अपना एक निरीक्षक उस खेत और बीज की भली भांति जाँच करने के लिए भेज देती है। निरीक्षक अपने प्रमाणपत्र को, खेत में दूसरी प्रकार की फसलों और जातियों के पौधे, रोग, खरपतवार और दूरी की जाँच करके पूरा करता है। यदि ऐसा न किया जाए तो बीजों में मिश्रण हो सकता है और उन्नत किस्मों के बीज अपने गुण खो बैठते हैं।

प्रमाणित बीज के प्रकार : प्रमाणित बीज को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है

1.मूल बीज

2.नाभि बीज

[1]एमएस स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन-173229.

[2]चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर-176215

3.रजिस्टर्ड बीज

4.प्रमाणित बीज

मूल बीज: इसका प्रबंध अनुसन्धान केंद्र में किया जाता है। यहाँ से प्रमाण के लिए नाभि बीज मिलता है।

नाभि बीज: अनुसन्धान केंद्र में इसे पैदा किया जाता है। यह बीज अनुसन्धान केंद्र से दूसरे स्थानों पर रजिस्टर्ड किसानो को को भेजा जाता है और प्रमाणित बीज की सभी श्रेणियों इसी बीज से पैदा की जाती हैं।

रजिस्टर्ड बीज: यह सरकार के पास रजिस्टर्ड किसानों की भूमि पर उगाया जाता है। यह नाभि बीज की संतान है, इसमें इतनी शुद्धता रखी जाती है कि बीज एजेंसी के प्रतिनिधि इसको सही मानते हैं। फिर इससे प्रमाणित बीज पैदा किया जाता है।

प्रमाणित बीज: रजिस्टर्ड बीज को उगाने के बाद यह प्रमाणित बीज प्राप्त होता है। इसमें जाति कि पहचान और शुद्धता का पूरी तरह ध्यान रखा जाता है।

मूल बीज पूरी तरह प्रजनक के पास ही रहता है और नाभि बीज अनुसन्धान केंद्र में। रजिस्टर्ड बीज और प्रमाणित बीज व्यपारियों को दिए जाते हैं।

बीज प्रमाणीकरण के क्रम में सब किसानो को भाग लेने का अधिकार होता है। इसका मूल उद्देश्य खेती की उन्नति में सहायता करना और उन्नत जातियों के बीजों को किसानो तक पहुँचाना है। अनुसन्धान केंद्र में बहुत सी उन्नत जातियों का विकास बीज प्रमाणीकरण के द्वारा ही हुआ है। यदि किसान प्रमाणित बीज बोएं तो न सिर्फ अंकुरण अच्छा होगा बल्कि जाति की शुद्ता, बीजों के अनुकूल होने और खरपतवार से वंचित होने की पूरी तसल्ली भी रहती है। प्रमाणित बीज बहुत अच्छी तरह से सरंक्षित किये जाते हैं। उनके थैले पर एक सूचनापत्र बंधा जाता है। इसमें बीज के बारे में पूरी सूचना लिखी रहती है।

उन्नत किस्मों के शुद्ध बीजों का प्रचार करने में सबसे बड़ी रूकावट यह है कि हमारे देश में ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जो शुद्ध बीजों को बढ़ने और बाँटने का काम करती हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए यह जरुरी है कि उन्नत किस्म के रोगरोधी उपचारित बीजों का इस्तेमाल किया जाये।

जरुरत इस बात की है कि किसान व्यक्तिगत और सहकारी रूप में बीजों के बढ़ाने और बाँटने कि जिम्मेवारी लें ताकि उपज बढ़ाने में मदद मिल सके।